

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय  
निवासी सांतपुर  
तहसील आबूरोड  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 62 वर्ष 2023

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड को दिनांक 12.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास आबू द्वारा ग्राम सांतपुर में स्थित खसरा संख्या 923/3 की भूमि में कॉलोनी निर्माण हेतु श्री सुमित जैन व श्री वेदभूषण गर्ग को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर साईट प्लान स्वीकृत किया गया है। उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड को दिनांक 12.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास आबू द्वारा ग्राम सांतपुर में स्थित खसरा संख्या 923/3 की भूमि में कॉलोनी निर्माण हेतु श्री सुमित जैन व श्री वेदभूषण गर्ग को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर साईट प्लान स्वीकृत किया गया है। उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

